

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)**  
**पीठासीन अधिकारी : मुकेश कुमार चौधरी आर.ए.एस.**

प्रकरण संख्या: 17/2024 (गुण्डा एक्ट)

जी.सी.एम.एस.: 2024/64

**उनवान**

राज्य सरकार जयें थानाधिकारी पुलिस स्टेशन बपावरकलां जिला कोटा  
ग्रामीण (राज0)

**बनाम**

रामसिंह पुत्र गोबरीलाल जाति नायक उम्र 58 साल निवासी बपावरकलां थाना  
बपावरकलां जिला कोटा



**कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975**


**निर्णय दिनांक : 29.5.2026**

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन बपावरकलां जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जयें पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल रामसिंह पुत्र गोबरीलाल जाति नायक उम्र 58 साल निवासी बपावरकलां थाना बपावरकलां जिला कोटा थाना क्षेत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षेत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते हैं। जिससे उसके क्षेत्र में निवास करने वाले साक्षी लोग उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने के इच्छुक नहीं रहते हैं। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। गैरसायल के विरुद्ध अपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र.स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	24/11.2.2023	13 आरपीजीओ	19/18.2.2023	100 रु. जुर्माना 18.7.2023
2.	74/26.4.2023	13 आरपीजीओ	69/30.4.2023	100 रु. जुर्माना 12.9.2023
3.	9/23.1.2025	13 आरपीजीओ	6/3.2.2025	100 रु. जुर्माना 11.3.2025
4.	24/15.2.2025	13 आरपीजीओ	13/25.2.2025	100 रु. जुर्माना 11.3.2025

अतः गैरसायल रामसिंह पुत्र गोबरीलाल जाति नायक उम्र 58 साल निवासी बपावरकलां थाना बपावरकलां जिला कोटा के विरुद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुए नोटिस दिया गया। गैरसायल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। गैरसायल द्वारा कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। गैरसायल बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से न्यायालय का यह मत है कि गैरसायल उक्त कार्यवाही बाबत कोई सुनवाई नहीं चाहता है। अतः थानाधिकारी कनवास द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा अ0धा0 3(1) राज0 गुण्डा अधि0 1975 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

  
अति. जिला कलक्टर  
कोटा

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। थानाधिकारी बपावरकलां द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही में गैरसायल के विरुद्ध 13 आरपीजीओ की धारा 3(1) के तहत 04 अभियोग दर्ज हुए हैं। अतः इस्तगासा में वर्णित अभियोग में गैरसायल को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं दण्डित करने की स्थिति विद्यमान है। जिसके लिए परोकार सरकार द्वारा गैरसायल की गतिविधियां आमजन के लिए घातक होना कथन करते हुए गैरसायल को जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। गैरसायल को इस इस्तगासा प्रकरण में वर्णित 13 आरपीजीओ : प्रकरणों में न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने की प्रमाणिक स्थिति विद्यमान होने के कारण गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत गुण्डा परिभाषित है। जिसके फलस्वरूप राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 की उपधारा 1 (ए) (बी) तथा (सी) के अन्तर्गत वर्णित स्थिति विद्यमान होना पाते हुए गैरसायल को जिला बदर किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार रामसिंह पुत्र गोबरीलाल जाति नायक उम्र 58 साल निवासी बपावरकलां थाना बपावरकलां जिला कोटा को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत 15 दिन के लिए थाना बपावरकलां जिला कोटा की सीमा से जिला झालावाड़ के लिए निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। गैरसायल इस समयावधि में जिला कोटा की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा, नेकचलन रहेगा तथा निष्कासन अवधि के दौरान आने वाले प्रत्येक सोमवार को अपनी उपस्थिति तथा गतिविधियों की जानकारी थानाधिकारी, थाना खानपुर जिला झालावाड़ को प्रस्तुत करेगा। थानाधिकारी थाना खानपुर जिला झालावाड़ गैरसायल की गतिविधियों पर निगरानी रखेंगे। गैरसायल की उक्त 15 दिवस की निष्कासन अवधि 22 दिन पश्चात अर्थात् दिनांक 22.06.2026 से प्रारम्भ होगी। थानाधिकारी थाना कनवास जिला कोटा ग्रामीण उक्त गैरसायल रामसिंह पुत्र गोबरीलाल जाति नायक उम्र 58 साल निवासी बपावरकलां थाना बपावरकलां जिला कोटा को दिनांक 22.06.2026 को पुलिस अभिरक्षा में थाना कनवास जिला-कोटा (ग्रामीण) की सीमा से थाना खानपुर जिला झालावाड़ की सीमा में पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे। थानाधिकारी, थाना खानपुर जिला झालावाड़ उक्त गैरसायल की उपस्थिति की सूचना तथा निष्कासन अवधि समाप्त होने पर थानाधिकारी बपावरकलां जिला कोटा (ग्रामीण) गैरसायल के वापस थाना क्षेत्र बपावरकलां जिला कोटा (ग्रामीण) में लौटने की सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा



(वीरेन्द्र सिंह यादव)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा, जिला कोटा